षोडश बिहार विधान सभा

एकादश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-02 सोमवार, दिनांक-27 नवम्बर, 2018 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.09 बजे पूर्वा० तक

प्रश्नकाल प्रारम्भ होते ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण विभिन्न मुद्दों पर शोरगुल करते हुए वेल में आ गए ।

''आसन द्वारा कहा गया कि गम्भीर मुद्दों को उठाने के लिए नियम में प्रावधान है जिसके तहत किसी मामले को उठाया जा सकता है । अभी प्रश्नकाल है, इसे चलने दीजिए, आप लोग अपने-अपने स्थान पर जायें ।''

नेता विरोधी दल द्वारा कहा गया कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है किन्तु ज्वलंत मुद्दों पर बहस होनी चाहिए ।

आसन द्वारा कहा गया कि प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली में हर मुद्दा उठाने के नियमानुसार प्रावधान निर्धारित हैं किन्तु अव्यवस्था की स्थिति में कोई बात सुनी नहीं जा सकती ।

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य द्वारा आसन से अनुरोध किया गया कि सदन को व्यवस्थित कराया जाय ।

आसन द्वारा बार-बार विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर जाकर अपनी बातों को कहने का अनुरोध किया गया किन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अप० से 02.17 बजे अप० तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

[1] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

माननीय प्रभारी मंत्री कृषि विभाग श्री प्रेम कुमार द्वारा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 का महालेखाकार से प्राप्त पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उसपर विश्वविद्यालय स्तर से की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

[2] विधायी कार्य :- राजकीय विधेयक :-

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018'' :-

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय का नाम आसन से पुकारा गया किन्तु माननीय सदस्य द्वारा विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श, जनमत जानने का प्रस्ताव एवं विधेयक के मूल पाठ में दिये गये किसी भी संशोधन को सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डश: विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

तत्पश्चात् ''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018'' सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

[3] निवेदन :-

आसन द्वारा घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल-22 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे ।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मागों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से बार-बार अपने-अपने स्थान पर जाकर अपनी बातों को कहने का अनुरोध किया गया, किन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2018 को 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-27.11.2018

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।